न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बामनवास जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी प्रियंका कड़ेला आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर – 48/2025 राजस्व प्रार्थना पत्र

उनवान

1. सन्तरा पत्नि चन्दनसिंह जाति मीना निवासी रामसिंहपुरा तहसील बरनाला

–प्रार्थीया

बनाम

2. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार बरनाला

–अप्रार्थी

वकील प्रार्थीया– श्री विजयसिंह गुर्जर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक :– 21-12-25

प्रार्थीया की और से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज०भू०राज० अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 432/26 रकबा 0.50 है0 स्थित ग्राम रामसिंहपुरा तहसील बरनाला में स्थित है। उक्त भूमि के पड़ौसी खातेदार हमेशा प्रार्थीया को काश्त करने में परेशानी पैदा करते है। एवं डोल मेड़ का विवाद रखते है प्रार्थीया को काश्त करने में भारी परेशानी आ रही है। प्रार्थीया ने इन लोगों से तंग आकर अपनी भूमि का श्रीमान तहसीलदार महोदय बरनाला से दिनांक 20.05.2025 को सीमाज्ञान करवाया, जिसकी सत्यप्रति प्रार्थीया के पास मौजूद है। प्रार्थीया इन लोगों से परेशान होकर सीमाज्ञान करवा चुकी है। एवं शांतिपूर्वक काश्त करने के लिए अपनी भूमि की पत्थरगढ़ी करवाना चाहती है, जिससे कि डोल मेड़ का विवाद हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जावे एवं प्रार्थीया शान्तिपर्वूक काश्त कर सके। प्रार्थीया ग्राम रामसिंहपुरा तहसील बरनाला की निवासी है एवं प्रार्थीया की भूमि भी ग्राम रामसिंहपुरा में स्थित है, इसलिए सुनवाई का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय हाजा को प्राप्त है। प्रार्थीया दिनांक 15.05.2025 को अपने खेत की सार सम्भाल करने गयी तो मौके पर प्रार्थीया के उक्त खेत खसरा नम्बर 432/26 की डौल मेड़ टूटी हुई मिली। जबकि प्रार्थीया के खेत के आस पास अन्य किसी दीगर व्यक्ति की खातेदारी भूमि नहीं है, लेकिन पड़ौसियों ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है और अतिक्रमियों द्वारा ही प्रार्थीया की डोल मेड़ को तोड़ा गया हैं। इस वजह से प्रार्थीया की कृषि भमि की पत्थरगढ़ी करवाया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया की सहखातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी कृषि भमि हाल खसरा नम्बर 432/26 रकबा 0.50 है0 स्थित ग्राम रामसिंहपुरा तहसील बरनाला की पत्थरगढ़ी करवाये जाने का आदेश फरमाया जावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Priyanka Karela
Date: 2025.12.23 16:17:09 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र धारा 128 राज०भू०राज० अधिनियम 1956 पंजिबद्ध किया गया। प्रार्थी की और से अपने खाते की नकल जमाबंदी एवं तहसीलदार बरनाला की और से जवाब का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 ग्राम रामसिंहपुरा पटवार मण्डल सुन्दरी भू.अ.निरीक्षक क्षेत्र बरनाला तहसील बरनाला में स्थित आराजी हाल खसरा नंबर 432/26 रकबा 0.50 है0 स्थित ग्राम रामसिंहपुरा तहसील बरनाला स्थित भूमि प्रार्थीया के नाम दर्ज होकर है। प्रार्थीया अपने खाते की उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने के अधिकारी है।

उप जिला कलक्टर
बामनवास (स०मा०)

Scanned with CamScanner

हमारे द्वारा बहस वकील प्रार्थीया की सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस आदेश से किसी भी पक्षकार का राजस्व अभिलेख में किसी प्रकार का हक व अधिकार तय नहीं होते है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः प्रार्थीया प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूं।

// आदेश //

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र धारा–128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम रामसिंहपुरा पटवार मण्डल सुन्दरी भू.अ.निरीक्षक क्षैत्र बरनाला तहसील बरनाला में स्थित आराजी हाल खसरा नंबंर 432/26 रकबा 0.50 है0 स्थित ग्राम रामसिंहपुरा तहसील बरनाला भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने के लिये भू0अ0 निरीक्षक बरनाला को 1000/– रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीया मौके पर जमा करावें। पत्थरगढी करने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि प्रार्थीया की भूमि पर अन्य काश्तकार का या किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थीया को विधिवत कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। उक्त आदेश के तहत किसी प्रकार से राजस्व रेकार्ड में फेरबदल नहीं किया जावे। अतः भू0अ0 निरीक्षक बरनाला जो कि उक्त प्रकरण में कमिश्नर है, मौके पर प्रार्थीया व पड़ौसी खातेदारों की उपस्थिति में पत्थरगढी की जाकर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे। पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार बरनाला को पालना हेतु लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 21-12-25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर कोर्ट मुख्यालय पर सुनाया गया।

उप जिला कलक्टर
(प्रियंका कडेला)
उपखण्ड अधिकारी
बामनवास (स.मा.)
बामनवास(सवाई माधोपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Priyanka Karela
Date: 2025.12.23 16:17:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner